

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2015/कार्तिक 25, 1937

No. 369]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2015/KARTIKA 25, 1937

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2015

**फा. सं. 7/15015/30/2012.**—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2014 का संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 7/15015/30/2012 तारीख 30 अगस्त, 2013 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 15 अक्टूबर, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद

मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

### विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट अ में,-

(क) सारणी संख्या 2 में क्रम संख्यांक ए और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
"ए	ग्लेजिंग एजेंट्स											
1	श्लैक	-	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-
2	बीसवैक्स (सफ़ेद और पीला)	-	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-
3	केंडेलिल्ला वैक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-
4	गम एरेबिक	-	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-
5	पेक्टिन	-	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-"

(ख) सारणी 8, में क्रम संख्यांक ई, के उप क्रम संख्यांक (क) कैरेमिल से संबन्धित मद 2 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"2	कैरेमिल	-	जीएमपी	-	जीएमपी	अधिकतम 100 पीपीएम	-	जीएमपी	-	-	-	अधिकतम 200 पीपीएम";

(ग) सारणी संख्या 13 के क्रम संख्यांक औ में उप क्रम संख्यांक 6 के अधीन "सोडियम सॉल्ट ऑफ़ स्टीरिक एसिड" शब्दों के पश्चात "स्टीरिक एसिड (खाद्य श्रेणी)" शब्द रखे जाएंगे।

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187-ओ/15(256)]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किया गया:-

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013.
- (ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013.
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013.
- (iv) फा. सं. पी 15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई , तारीख 5 दिसम्बर, 2014.
- (v) फा. सं.1-83 एफ/एससीआई पैन-नोटी/एफएसएसएआई – 2012, तारीख 17 फरवरी, 2015.
- (vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015.
- (vii) फा. सं. पी 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015.
- (viii) फा. सं. पी 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015.

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (Food Safety and Standards Authority of India)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2015

**F. No. 7/15015/30/2012.**—Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2014, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No 7/15015/30/2012 dated 30<sup>th</sup> August, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 15<sup>th</sup> October, 2013;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

#### Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 in Appendix A.-
  - (a) In table No. 2, for Serial number G and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely.—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"G	Glazing agents										
1	Shellac	-	-	-	-	-	-	-	GMP	-	-
2	Beeswax (White)	-	-	-	-	-	-	-	GMP	-	-

	and Yellow)										
3	Candelilla wax	-	-	-	-	-	-	-	GMP	-	-
4	Gum Arabic	-	-	-	-	-	-	-	GMP	-	-
5	Pectin	-	-	-	-	-	-	-	GMP	-	-

(b) Table 8, serial number, D, Sub serial number (a), for item 2 relating to Caramel and entries thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"2	Caramel	-	GMP	-	GMP	100ppm Maximum	-	GMP	-	-	-	200ppm maximum".

(c) In Table No 13, in serial number J, under sub-serial 6, in the entry under column 2, after the words "Sodium salts of stearic acid", the words "stearic acid (food grade)" shall be substituted.

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./187-O/15 (256)]

**Note:—**The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010 dated the 1<sup>st</sup> August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated 7<sup>th</sup> June, 2013.
- (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27<sup>th</sup> June, 2013.
- (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12<sup>th</sup> July, 2013.
- (iv) F. No. P15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5<sup>th</sup> December, 2014.
- (v) F. No. 1-83 F/SciPan-Noti/FSSAI-2012, dated 17<sup>th</sup> February, 2015.
- (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated 4<sup>th</sup> August, 2015.
- (vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4<sup>th</sup> November, 2015
- (viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4<sup>th</sup> November, 2015